

## पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हू कि श्री/कु0/श्रीमती.....  
मेरे पाल्य है। ये सोबन सिंह विश्वविद्यालय परिसर में अ/ययन काल में अपना व्यवहार एवं आचरण मर्यादित रखेगा/रखेगी। यदि ये उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती है तो इस सम्बन्/1 में महाविद्यालय/परिसर द्वारा की की अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बा/य होगा तथा मेरे पाल्य के सम्बन्/1 में महाविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर पिता/अभिभावक

### अभ्यर्थी द्वारा शपथ

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता /करती हूँ कि मैं महाविद्यालय के छात्र/छात्रा रूप में आचरण तथा व्यवहार ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/ लूँगी एवं महाविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मैं उपर्युक्त प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता/करती हूँ तब उस परिस्थिति में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।
2. मैं प्रमाणित करता करता /करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य है। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि गलत पायी गयी तो महाविद्यालय द्वारा दिया गया कोई भी दण्ड मुझे मान्य होगा।
3. मैं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क नियमानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने एवं मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. यदि मैं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में अथवा महाविद्यालय में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो महाविद्यालय में मेरा प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

संरक्षक के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

### अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण पत्र

1. अभ्यर्थी /छात्र का घोषणा पत्र मैं ..... कक्षा .....  
...पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री ..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 पढ़ लिया है समझा लिया है मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिये किसी ओर को उकसाता हूँ या किसी तरह रैगिंग में भाग लेता/लेती हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चित पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि— क. मैं किसी भी रैगिंग जो कि धारा 03 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी। ख. मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 03 विनियम के तहत आता हो।

5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग को प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।

6. मैं यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/ गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत अपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरे प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

### कार्यालय उपयोग हेतु ( For Office Use Only)

1- संकाय/विभाग रजिस्टर की प्रवेश सं०	2- कार्यालय कुलानुशासक की पंजीकरण संख्या	
	प्रवेश समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर 1..... .. 2..... ... 3..... .... 4..... .... 5..... .... 6..... ....	3. संयोजक के हस्ताक्षर ..... ..... .....
3. दिनांक	3. दिनांक	3. दिनांक

स्थाई/अस्थाई प्रवेश स्वीकृत नियमानुसार शुल्क लिया जाए ।	
दिनांक	हस्ताक्षर प्राचार्य/ निदेशक.....

## अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

### शपथ प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्या को न ही छिपाया गया है न ही गलत बयान दिया गया है। सत्यापित.....स्थान.....दिन.....महीना.....वर्ष.....अभ्यर्थी न हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिये गये तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

### माता पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र

1. मैं ..... पिता/माता/अभिभावक .....ने रैगिंग निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित नियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम -2009 कसे ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।

3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम का समझ लिया है। अगर मेरे पाल्य किसी तरह रैगिंग के लिये किसी को उकसाता है या किसी तरह रैगिंग में भाग लेता/लेती है तो प्रशासन उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं निश्चय पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि- क. मैं किसी भी रैगिंग जो कि धारा 03 विनियम में उल्लेखित है उसमें मेरा पाल्य भाग नहीं लेगा/लेगी। ख मेरा पाल्य किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा/लेगी जो कि रैगिंग के धारा 03 विनियम के तहत आता हो।

5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरा पाल्य रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/गयी तो उसे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

7. मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य रैगिंग की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

8. मैं अपनी सहमति देता/देती हूँ कि यदि वे रैगिंग के किसी भी मामले में अपराधी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध यू.जी.सी अधिनियम 2007 और/ या तम्सम्बन्धित गतिमान कानून के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

हस्ताक्षर

नाम पता.....

दूरभाष नम्बर.....